Instructions to candidates appearing the Typing Skill Test.

(i) The candidates are advised to attend as per the schedule given above without fail. The candidates coming late may lose their chance to attend the Typing Test. Five times the number of vacancies have been called for Typewriting Test. Candidates have to bring their own Typewriter (Key Punching Type) along with them either English Typewriter or Hindi Typewriter as per their language choice for appearing in Typing Test. Electronic Typewriter machines are not allowed. Arranging of typewriter in time for the Typing test will be the sole responsibility of the candidate. If Typewriter brought by the candidate develops any snag or fails during the test then no extra time will be given nor alternate arrangement made by RRB. It shall be the sole responsibility of the candidate.

(ii) The minimum qualification in Typing proficiency will be @ 30 words per minute in English or @ 25 words per minute in Hindi and this will be qualifying in nature for selection to the subject post. Attendance in Typing Test is compulsory.

(iii) The candidates are required to type 300 words or 1500 strokes so as to attain a minimum speed of 30 words per minute in English Typewriting. Similarly, a candidate appearing in Hindi Typewriting should type 250 words of 1250 strokes in order to attain a speed of 25 words per minute. The duration of the test is 10 minutes, the transcripts of those candidates who do not type out 300 words / 1500 strokes in English or 250 words / 1250 strokes in Hindi in the prescribed time will not be evaluated. The standard measure adopted in counting words is @ 5 strokes per word.

(iv) Candidates must start typing from the start of the question paper and must complete the whole paper. If any candidate finishes the paper before the allotted time he / she should restart the same passage and continue typing until expiry of the time.

(v) The candidates must return the question paper along with their scripts to the invigilator after the examination is over. They should not take either the question paper or scripts or any other blank typing papers out of the examination hall. They should not tear any sheet given to them. If a candidate uses more than one sheet, he / she should fasten all the sheets securely before handing over to the invigilator.

(vi) Physically handicapped candidates are eligible for exemption from typing qualification for appointment to Clerical Posts if they are found otherwise qualified and are certified as being unable to type by the Medical Board attached to Special Employment Exchange, or by a Civil Surgeon where such a Board does not exist. Candidates seeking exemption must be present with the above certificate on the date of typing test.

(vii) Candidates in excess of the vacancies are being called for typing test and merely calling a candidate for typing test does not in any way entitle him/ her to an appointment in the Railways.

(viii) The above instructions are indicative. Any other required instructions about the examination will be given to the candidates at the venue.

□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□

1 उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे ऊपर दिए शेड्यूल के अनुसार परीक्षा में अवश्य उपस्थित रहें. देरी से आनेवाले उम्मीदवार परीक्षा में बैठने का अपना मौका गँवा सकते हैं . टाइपिंग परीक्षा के लिए रिक्तियों की संख्या के पांच गुना उम्मीदवारों को बुलाया गया है. उम्मीदवारों को टाइपिंग परीक्षा में बैठने के लिए उनका स्वयं का टाइपराइटर (की पंचिंग टाइप) उनकी भाषा के विकल्प के अनुसार अंग्रेजी टाइपराइटर अथवा हिंदी टाइपराइटर अपने साथ लाना होगा. इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर मशीन लाने की अनुमति नहीं हैं. टाइपिंग परीक्षा के लिए समय रहते टाइपराइटर की व्यवस्था करने की पूरी जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी. यदि उम्मीदवार द्वारा लाया गया टाइपराइटर परीक्षा के दौरान खराब हो जाता है या काम करना बंद कर देता है , तो रेल भर्ती बोर्ड द्वारा न तो कोई अतिरिक्त समय दिया जाएगा अथवा न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी.यह पूरी तरह उम्मीदवार की अपनी जिम्मेदारी होगी.

2. टाइपिंग प्रवीणता में न्यूनतम योग्यता अंग्रेज़ी में 30 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट होगी और यह कथित पद हेतु चयन के लिए निर्धारित योग्यता होगी.टाइपिंग परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है.

3. उम्मीदवार को 300 शब्द अथवा 1500 स्ट्रोक्स टाइप करना ज़रूरी है, ताकि वे अंग्रेज़ी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति प्राप्त कर सकें. इसी तरह हिंदी टाइपिंग में बैठने वाले उम्मीदवार को 250 शब्द अथवा 1250 स्ट्रोक्स टाइप करना आवश्यक है, ताकि वे 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति प्राप्त कर सकें. परीक्षा की समयावधि 10 मिनट होगी , वें उम्मीदवार, जो अंग्रेज़ी में 300 शब्द/1500 स्ट्रोक्स , हिंदी में 250 शब्द/1250 स्ट्रोक्स निर्धीरित समय के भीतर टाइप नहीं करते हैं, उसका ट्रांसक्रिप्ट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा. शब्दों को गिनने में अपनाया गया मानक मापन 5 स्ट्रोक्स प्रति शब्द है.

4. उम्मीदवार प्रश्न पत्र की शुरूआत से टाइप करना प्रारंभ करें और पूरा पेपर टाइप करें .यदि कोई उम्मीदवार आबंटित समय से पहले पेपर पूरा टाइप कर लेता है तो उसे चाहिए कि वह उस पैरा को पुनः टाइप करें तथा समय खत्म होने तक टाइप करना जारी रखें.

5. उम्मीदवार परीक्षा समाप्त होने पर निरीक्षक को स्क्रीप्ट के साथ प्रश्न पत्र अवश्य वापस करें. वह प्रश्न पत्र अथवा स्क्रीप्ट अथवा कोई अन्य कोरा टाइपिंग पेपर परीक्षा हॉल के बाहर नहीं ले जा सकते. उम्मीदवारों को चाहिए कि वें उन्हें दी गई कोई भी शीट को न फाड़ें. यदि कोई उम्मीदवार 01 से अधिक शीट का प्रयोग करता है तो उन्हें निरीक्षक को सौपने से पहले सभी शीटों को मजबूती से बांध लें.

6.यदि शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार-अन्यथा योग्य पाए जाते हैं और विशेष रोज़गार केंद्र से संलग्न मेडिकल बोर्ड द्वारा अथवा जहाँ इस प्रकार का बोर्ड अस्तित्व में न हो तो ऐसी स्थिति में सिविल सर्जन द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि संबंधित उम्मीदवार टाइप करने में असमर्थ है तो ऐसे उम्मीदवार लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए टाइपिंग की शैक्षणिक योग्यता से छूट पाने के पात्र है ऐसे उम्मीदवार जो टाइपिंग की योग्यता से छूट पाना चाहते हैं, वे उपर्युक्त प्रमाण पत्र के साथ टाइपिंग टेस्ट के दिन बुलावा पत्र के अनुसार बुलाए गए समय पर टापिंगटेस्ट में उपस्थित रहे.

7. रिक्तियों से अधिक संख्या में उम्मीदवारों को टाइपिंग परीक्षा के लिए बुलाया जा रहा है और केवल टाइपिंग परीक्षा में बुलाने से उम्मीदवार रेलवे में नियुक्ति पाने का हकदार नहीं हो जाता.

8. ऊपर दिए गए अनुदेश सूचनात्मक है .परीक्षा संबंधी अन्य कोई आवश्यक अनुदेश उम्मीदवारों को परीक्षा स्थान पर दिए जाएंगे.